फर्द अहकाम

अज अदालत–न्यायालय जिला कलक्टर–मुकाम–भरतपुर

**रमेश चन्द शर्मा बनाम लो.सू.अधि. महाप्रबंधक, बीएसएनएल, भरतपुर**

किस्म मुकदमा अपील **RTI** नम्बर .22. सन् 2024

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनियशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये |
|---|---|---|
| 16.04.2024 | प्रार्थी / अपीलान्ट रमेश चंद शर्मा पुत्र श्री लहरी राम निवासी ग्राम व पोस्ट कैथवाडा, तहसील पहाडी, जिला डीग की यह अपील आर टी आई के तहत महाप्रबंधक, बीएसएनएल, भरतपुर के खिलाफ प्राप्त हुई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो।<br>प्राप्त अपील का अवलोकन किया गया। अपील के साथ संलग्न फोटो प्रति पत्रादि का भी अवलोकन किया गया। अवलोकन से जाहिर आया कि आर.टी.आई. एक्ट के तहत लोक सूचना अधिकारी महाप्रबंधक, बीएसएनएल, भरतपुर के खिलाफ अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार जिला कलक्टर भरतपुर को नहीं है।<br>अतः प्राप्त मूल अपील वापस लौटाई जाकर अपीलार्थी को लिखा जावे कि वह नियमानुसार सीधे ही सक्षम अधिकारी को अपील प्रस्तुत करें। पत्रावली बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।<br>Sd/-<br>जिला कलक्टर<br>भरतपुर | 288<br>29/04/24<br>मूल अपील लौटाई। |